All Concerned

दिनांक 20.07.2016 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ एवं साउथ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में बिजली कंपनी के पदाधिकारियों, सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी जिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं बताया गया कि सभी जगह बिजली पहुँचाना बिजली कम्पनी का लक्ष्य है। बिजली कम्पनियाँ बिजली खरीदकर आपूर्ति करती है, अतः उसके अनुपात में राजस्व संग्रहण भी अपेक्षित है। राज्य के लोगों की जानकारी में देना है कि बिजली के उपभोग के बदले वास्तविक खपत के आधार पर बिजली विपत्र का भी भुगतान विद्युत उपभोक्ताओं को करना है। पड़ोस के राज्य बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में विभिन्न कैटेगरी के विद्युत दर बिहार से ज्यादा हैं। अतः Different category के विद्युत दर को पुनरीक्षित करना आवश्यक है।

मुख्य मंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना से संबंधित प्रेजेंटेशन

House hold survey under Mukhya Mantri Vidyut Sambandh Nischay Yojna के संबंध में Presentation के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग शुरू की गई। बिहार के कुल 38 जिलों में प्रतिवेदन के आलोक में 1.95 करोड़ Rural House Hold हैं। मुख्य मंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत सभी घरों का सर्वे कराना है। दिनांक 25 जून, 2016 से सर्वे का काम प्रारम्भ किया गया। अबतक लगभग 12 लाख घरों का सर्वे हो चुका है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कम्पनी लि0 के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण एवं सीवान तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अन्तर्गत नालन्दा, शेखपुरा, अरवल में सर्वे के काम की प्रगति अच्छी है, किन्तु समस्तीपुर, मुंगेर, भोजपुर, दरभंगा, भागलपुर, बांका, सारण, बेगुसराय, लखीसराय एवं वैशाली में सर्वे के काम की प्रगति बहुत खराब है।

6679 (M) 25/16

जिलाधिकारी, समस्तीपुर ने बताया कि तकनीकी कारण से प्रगति धीमी थी। दिनांक 19.07.2016 से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। दिनांक 25 सितम्बर, 2016 के पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया जायेगा।

जिलाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि पंचायत रोजगार सेवक को सर्वे के लिए जो सीम आवंटित किया गया था वह एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब सीम एक्टिवेट हो चुका है। सर्वे के काम में प्रगति हो जायेगी।

जिलाधिकारी, भोजपुर ने बताया कि उनके यहाँ विधि–व्यवस्था की समस्या हो गयी थी, इसी कारण सर्वे के काम में विलम्ब हुआ है।

कुछ जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पंचायत रोजगार सेवक की जगह पर विकास मित्र को सर्वे के काम में लगाया गया है।

कुछ जिलाधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वे के दौरान कई जगह उपभोक्ता संख्या गाँव वाले नहीं बता पा रहे हैं जिसके कारण पंचायत रोजगार सेवक सर्वे में दर्ज कर देते हैं कि बिजली उपलब्ध नहीं है जबकि उस घर में बिजली उपलब्ध है, उस उपभोक्ता के पास उपभोक्ता संख्या नहीं है।

इस बिन्दु पर निदेश दिया गया कि ऐसे मामलों में Yes लिखना है तथा Consumer A/c में No लिखना है।

कुछ जिलो के जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मोबाईल चार्ज करने के लिए पावर बैंक की भी समस्या है।

इस संबंध में बताया गया कि सर्वे के काम में लगे कर्मचारियों को इस कार्य हेतु भ्रमण करने, इंटरनेट पैक भरवाने तथा मोबाईल के सुचारू रूप से काम करने हेतु पावर बैंक की उपलब्धता इत्यादि पर होने वाले खर्च की भरपाई हेतु रू0 4000.00 प्रति कर्मचारी को दिया जायेगा। यह उन्हें दैनिक कार्य के लिए मिल रही राशि के अतिरिक्त होगा। यह राशि संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को आवंटित कर दिया गया है।

कई जगहों पर पंचायत रोजगार सेवक के पास मोबाईल सेट उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से बात कर इस समस्या को दूर किया जायेगा।

जिलाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि सर्वे के काम में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और प्रतिदिन अनुश्रवण किया जा रहा है। WhatsApp पर भी सभी संबंधित कर्मी जुड़े हुए हैं।

जिलाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि सर्वे के काम के लिए प्रत्येक सप्ताह सभी संबंधित कर्मी को minimum target दिया गया है एवं प्रत्येक कर्मी को कम–से–कम 40–50 घर का सर्वे प्रतिदिन करने का लक्ष्य दिया गया है तथा इसकी साप्ताहिक समीक्षा उनके स्तर से की जा रही है।